संख्या-52/2026/925/001-12-5002-002-2-2022

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 23 सितंबर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-अभि०/440/म०स०उ०/अनु०/2026-27 दिनांक 06.05.2026, संयुक्त कृषि निदेशक(अभि०), कृषि भवन, लखनऊ के पत्रांक-अभि०/925/साज०सज्जा/अनु०/2026-27 दिनांक 05.08.2026 एवं पत्रांक-अभि०/1183/साज०सज्जा/अनु०/2026-27, दिनांक 11.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि निदेशालय के प्रेक्षागृह एवं कृषि भवन की अग्निशमन व्यवस्था को सुद्रण करने का कार्य, प्रेक्षागृह में एलईडी वाल पैनल की स्थापना आवश्यक उपकरणों सहित तथा प्रेक्षागृह हेतु 4टन के 2टावर एसी लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू० 80.00 लाख (रूपया अस्सी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया तथा योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि व्यय योजनान्तर्गत क्रय हेतु स्वीकृत किये गये कार्यों/उपकरणों के इतर यदि अन्य कार्यों/उपकरणों के क्रय पर किया जाना अपरिहार्य हो तो तद्नुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संबंधित अभिलेखों सहित शासन को अवगत कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
4. उपकरणों/यंत्रों का क्रय जेम पोर्टल से किये जाने के लिए क्रय संबंधी निर्धारित दिशा-निर्देशों/ गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यक्तानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने तथा प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
7. कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/संयंत्रों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स आवश्यक होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी।
10. स्वीकृत धनराशि को ऐसे खाते में रखा जायेगा, जिससे ब्याज अर्जित हो तथा अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-52/2026/925(1)/001-12-5002-002-2-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक(अभि०), कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।